



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]
No. 394]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 1987/भाषण 6, 1909
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 1987/SRAVANA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1987

सा. का. नि. 679 (अ).— केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा कांडला पत्तन के लिए बनाए गए तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए कांडला पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम 1987 को अनुमोदन प्रदान करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

[मिसिल सं. पी. आर-12016/7/87 पी ई-1]

पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

अनुसूची

विषय :—कांडला पोर्ट कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि
विनियम 1964

सं. एफ ए/जी एन / 1110 (जी पी एफ)—कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1964 को और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम 1987 कहे जायेंगे।
2. ये विनियम उन सभी पोर्ट कर्मचारियों को लागू होंगे जो सामान्य भविष्य निधि योजना द्वारा शामिल हैं तथा ये, इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. (I) विनियम 23 के उप विनियम (2) के अधीन निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए "परन्तु जहाँ कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और जिसे राशि संदेय है, उस व्यक्ति को अगर मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित किया जाता है, तो भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) की शर्तों में समाहर्ता द्वारा जारी आदेशों के अधीन उस पागल की देख रेख करने वाले व्यक्ति को संदाय किया जाएगा और लेखा अधिकारी पागल की देख रेख करने वाले व्यक्ति को केवल वही राशि, जितनी वह उचित समझे देगा और अधिशेष यदि कोई हो तो, अथवा उसके किसी भाग को जैसा भी वह उचित समझे, पागल के परिवार के ऐसे सदस्य के अनुरक्षण हेतु जो अनुरक्षण के लिए उस पागल पर निर्भर है, दिया जाएगा।"

(II) विनियम 23 के विद्यमान उप विनियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"3 प्रत्याहरित राशि का संदाय केवल भारत में ही किया जाएगा वे व्यक्ति जिन्हें राशि का संदाय किया जाता है, भारत में संदाय प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करेंगे। अभिदाता द्वारा संदाय का दावा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:—

(I) अभिदाता को निधि से राशि के आहरणार्थ आवेदन करने में समर्थ बनाने हेतु कार्यालय प्रमुख या तो अभिदाता की अधिवर्षिता की आय प्राप्त करने की तारीख से, एक वर्ष पूर्व अग्रिम रूप में अथवा यदि पूर्वोक्त हो तो उसकी प्रत्याशित सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व आवश्यक फार्म इस अनुदेश के साथ भेजेगा कि अभिदाता द्वारा फार्मों की प्राप्ति की तारीख के एक माह के अन्दर उन्हें विधिवत भर कर उसे लौटाने होंगे। अभिदाता, निधि से राशि के संदाय हेतु अपना आवेदन पत्र कार्यालय अथवा विभाग प्रमुख के माध्यम से लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

आवेदन पत्र निम्नलिखित उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाएंगे:—

- (क) उसकी अधिवर्षिता अथवा उसकी सेवा निवृत्ति की प्रत्याशित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त वर्ष के लिए लेखा विवरण में यथा उपदर्शित निधि से उसके खाते में जमा राशि के लिए, अथवा
- (ख) अभिदाता को लेखा विवरण प्राप्त न होने की स्थिति में उसके खाता लेखा में दर्शित राशि के लिए।
- (II) कार्यालय/विभाग प्रमुख आहरित अग्रिम तथा चालू अग्रिम के मद्दे प्रवृत्त वसूतियों और प्रत्येक अग्रिम के

संबंध में अभी वसूल की जाने वाली बाकी किस्तों की संख्या और अभिदाता द्वारा किए गए प्रत्याहरण, यदि कोई हो तो का उल्लेख करते हुए, आवेदन पत्र लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(III) लेखा अधिकारी खाता लेखे से सत्यापन के पश्चात् आवेदन में उल्लिखित राशि के लिए अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम एक माह पूर्व, परन्तु अधिवर्षिता की तारीख को संदेय प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

(IV) उपबन्ध (III) में उल्लिखित प्राधिकारी संदाय की प्रथम किस्त नियत करेगा संदाय के लिए द्वितीय प्राधिकार अधिवर्षिता के पश्चात् यथा संभव शीघ्र जारी किया जाएगा। वह खण्ड (I) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित राशि के पश्चात् अभिदाता द्वारा किए गए अभिदान और माथ ही अग्रिम के मद्दे किस्तों की वसूली जो प्रथम आवेदन पत्र के समय चालू थी, में संबन्धित होगा।

(V) अन्तिम भूगतान हेतु आवेदन पत्र लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के पश्चात् अग्रिम/प्रत्याहरण की संस्वीकृति प्रदान की जा सकती है किन्तु संबन्धित लेखा अधिकारी से प्राधिकरण प्राप्त होने पर जो मंजूरी प्राधिकारी ने औपचारिक संस्वीकृति प्राप्त होते ही इसकी व्यवस्था करेगा, अग्रिम/प्रत्याहरण आहरित किया जाएगा।"

(III) विनियम 23 के उप विनियम (3) के अधीन विद्यमान व्याख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"व्याख्या जब अभिदाता के खाते में जमा राशि विनियम 20, 21 अथवा 22 के अधीन संदेय हो जाए, तब लेखा अधिकारी उप विनियम (3) में उल्लिखित रीति से राशि का त्वरित संदाय प्राधिकृत करेगा।

सचिव, कंडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 28th July, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (General Provident Fund) Amendment Regulation, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/7/87-PE-I]
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

Sub : Kandla Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1964.

No. FA|GN|1110(GPF).—In exercise of the powers conferred under section 28 of Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations further to amend the Kandla Port Employees (General Provident Fund Regulations, 1964, namely :—

1. These Regulations may be called Kandla Port Employees (General Provident Fund) Amendment Regulations, 1987.

2. They shall apply to all Port employees who are governed by the General Provident Fund Scheme and shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

3. In Regulation 23,

3(i) The following proviso shall be inserted under sub-regulation (2)—

“Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall be under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912, to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such member of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.”

(ii) For the existing sub-regulation (3) the following shall be substituted namely :—

“(3) Payments of the amounts withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment

in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

- (i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office or Department for payment of the amount in the fund. The application shall be made :—
 - (a) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or
 - (b) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts statement has not been received by the subscriber.
- (ii) The Head of Office|Department shall forward application to the Accounts Officer indicating the advance taken and recoveries effected against the advances which are current and the number of instalments yet to be recovered in respect of each advance and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber.
- (iii) The Accounts Officer shall after verification with the ledger account issue authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.
- (iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against

- advances which are current at the time of first application.
- (v) After forwarding the application for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him."

(ii) For the existing Explanation under sub-regulation (3) the following shall be substituted, namely :—

"Explanation.—When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under regulation 20, 21 or 22, the Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-regulation (3)."

Secretary,
Kandla Port Trust